



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241316
CG-DL-E-22122022-241316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944

No 799]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSA 1, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 896(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' एवं 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, जहाँ तक इसका संबंध निरीक्षक (ओवरसियर) और उप-निरीक्षक (ओवरसियर) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में निरीक्षक (ओवरसियर) और उप-निरीक्षक(ओवरसियर) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग काडर, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा मेनुअल में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट शेप-1 चिकित्सा श्रेणी में आते हैं, वे ही इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. भारत के गैर नागरिकों की अपात्रता- कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त होगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, बल में नेपाल या भूटान राज्य की नियुक्ति या नियोजन को विवर्जित नहीं किया जाएगा।

8. अधिवर्षिता.— इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

9. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (ओवरसियर)	85*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व, भूतपूर्व सैनिक का पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप-निरीक्षक (ओवरसियर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 6 (35400-112400/-रु) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जिन्होंने-

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) के पद में नियमित रूप से पांच वर्ष की सेवा की है।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ तीन वर्षों का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडार बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए: सेवा निवृत्ति के कारण सशस्त्र बल कार्मिक या जो एक वर्ष के भीतर आरक्षी में स्थानांतरित किए गए हों और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखता हो, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति ऐसी तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकेंगे जिस तक उन्हें सशस्त्र बलों से छोड़े जाने के लिए नियत किया गया है, इसके पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति पर बने रह सकेंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. उप-महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. कमांडेंट(साधारण ज्यूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (ओवरसियर)	141*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रु.)	लागू नहीं होता

(6)
तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा।

2. शारीरिक मानक:

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	ऊँचाई	सीना	ऊँचाई	सीना
	162.5 से.मी.	77-82 से.मी.	150 से.मी.	लागू नहीं होता।
गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लेह लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई	165 से.मी.	80-85 से.मी.	155 से.मी.	लागू नहीं होता।
सभी अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	170 से.मी.	80-85 से.मी.	157 से.मी.	लागू नहीं होता।

वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के आनुपातिक।

टिप्पण: महानिदेशक आपवादिक पात्र मामलों में कारणों को लेखबद्ध करते हुए शारीरिक मानकों में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

3. चिकित्सा मानक:

(क) दृष्टि: दोनों आंखों में बिना सुधार किए हुए (अर्थात् बिना चश्मे पहने) न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ख) रंजक दृष्टि जांच उच्च ग्रेड में पास होना चाहिए। अंतर्जानु, सपाट पैर या स्फीत (शिरा) या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई वृद्धि/विरूपता नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप-महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. उप-कमांडेंट (साधारण ड्यूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-12022/03/2020-संगठन]

पी.एस. डंगवाल, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2022

G.S.R. 896(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the posts of Inspector(Overseer) and Sub-Inspector(Overseer), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(Overseer) and Sub-Inspector(Overseer), in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

Disqualification. — No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces. Medical manual shall only be eligible for appointment under the provisions of these rules.

7. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a States of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.— (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time.

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Overseer)	85*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B,' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 7 (Rs. 44900 - 142400)	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for re-employment of ex-servicemen before age of superannuation	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen deputation/re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

By promotion:

From amongst Sub-Inspectors (Overseer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 6 in the pay matrix(Rs. 35400-112400) with five years regular service in the level pay matrix and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or course.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of Central Government or State Government or Union territories-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in posts in level-6 of the pay matrix(Rs. 35400-112400); and
- (b) possessing the qualification of three years Diploma in Civil Engineering from a recognised Institution with three years experience.

Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit of appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.

For ex-servicemen deputation/re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion and confirmation) consisting of:- 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Deputy Inspector General (Engineer) Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 3. Commandant (General Duty), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub Inspector (Overseer)	141*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 6 (Rs. 35400 - 112400)	Not applicable.

(6)				
Not exceeding 30 Years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government from time to time).				
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).				
(7)				
1. Three years diploma in Civil Engineering from an Institute recognised by the Central Government or the State Government.				
2. Physical Standard:				
	For Male		For Female	
	Height	Chest	Height	Chest
Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes.	162.5 cms.	77-82 cms.	150 cms.	Not applicable
Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir, Leh and Ladakh.	165 cms.	80-85 cms.	155 cms.	Not applicable
For other States and Union territories	170 cms.	80-85 cms.	157 cms.	Not applicable
Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.				
Note: The Director General may relax above eligibility criteria in deserving cases after recording the reasons in writing.				

3. Medical Standards:-

- (a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).
- (b) Must pass high grade colour vision test.
Must not have knock knees, flat foot or squint in the eyes.
Must not have any defect/deformity likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the physical efficiency test and written test.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General (Engineer), - Chairman; Indo-Tibetan Border Police Force 2. Deputy Commandant (General Duty), - Member; Indo-Tibetan Border Police Force 3. Deputy Commandant (Engineer), - Member. Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

[F. No.I.12022/03/2020-Org]

P.S. DANGWAL, Dy. Secy.